कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 003
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विषय: स्थानांतरण एवं तैनाती सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।

Subject: Transfer & Posting Guidelines.

मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र संख्या 1-Staff Wing/2014 dated 06-01-2014, जोकि पत्र संख्या 10-Staff (App-II) 63-2013 dated 06.01.2014 के माध्यम से परिचालित किया गया है, में निहित निर्देशों के अनुसार IA&AD के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में न्यूनतम 03 सदस्यों वाले स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड का गठन किया जाता है, जो सभी ग्रेड 'बी' एवं 'सी' कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती की अनुशंसा करते है। इस प्रकार गठित बोर्ड का विवरण, स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी दिशा-निर्देश तथा तैनाती आदेश संबंधित कार्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाते है।

In terms of instructions contained in the Headquarters office circular no. 1-Staff Wing/2014 dated 06-01-2014, issued vide no 10-staff (App-II) 63-2013 dated 06-01-2014 Transfer and Posting Boards, consisting of minimum 03 members, shall be constituted in all the IA&AD offices which will recommend the transfer and posting of all the Gr. 'B' & 'C' staff. The details of the Boards so constituted, the guidelines on transfer and posting and posting orders are to be uploaded on the official websites of the concerned offices.

समूह 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर दिशा-निर्देश :-
Guidelines on Transfer and Posting of Group 'B' & 'C' Staff :-

1. मुख्यालय कार्यालय के उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में इस कार्यालय में 03 सदस्यों वाले स्थानातरण और तैनाती बोर्ड का गठन किया जाता है।
1. In view of Headquarters Circular No. 1-Staff Wing/2014 issued under No. 10-Staff (App-IT) 63 2013 dated 06.01.2014, Transfer and Posting Boards consisting of minimum 03 members has been constituted.

2. समूह 'बी' और 'सी' के सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती को स्वीकृति प्राधिकारी के विचार के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।
2. The transfer and posting of all the Group 'B' and 'C' staff shall be recommended by the Board for consideration of the Accepting Authority.

3.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय के स्थायी आदेश (प्रशासनिक) खंड-I (तृतीय संस्करण) के मैनुअल की अनुपालना में, सहायक लेखा अधिकारी एवं अन्य संवर्गों के किसी भी सदस्य को प्रधान महालेखाकार की विशिष्ट स्वीकृति के बिना लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक एक ही अनुभाग/विंग में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, साथ ही निर्धारित अवधि के लिए एक सीट या अनुभाग में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को थोड़े अन्तराल के बाद फिर से उसी सीट या अनुभाग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, इन आदेशों में छूट किसी व्यक्ति की सेनानिवृति से पहले के दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से टाली जानी चाहिए ।
3. In compliance with the CAG's Manual of Standing Orders (Administrative) Vol.-I (Third Edition) no member of the clerical staff should be allowed to remain in the same section/wing for more

than five continuous years without the specific approval Pr. Accountant General, also a person having worked in a seat or section for the prescribed period should not be posted again to the same seat or section after a short interval. However, relaxation for the officials to serve in the existing section/wing may be given for those who are retiring on superannuation within two years of period.

4. स्थानांतरण और तैनाती आदेश आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।
4. The transfer and posting orders shall be uploaded on the official websites.
5. समूह 'बी' और 'सी' कर्मचारियों को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि बीतने से पहले किसी विशेष पद से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से, सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्त में छूट दे सकते है।
5. The Group 'B' and 'C' staff not be transferred from a particular post before the lapse of a minimum period of two years. However, due to administrative reason, the competent authority can relaxation the said condition.

6. कैडर संरचना के स्थानीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, असाधारण परिस्थितियों में दो विंग/अनुभागों के बीच स्थानांतरण के अनुरोध बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के विचार के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
6. Considering the local scenario of the cadre composition, requests for transfers between two wings/sections in exceptional circumstances shall be put up to the Board and the recommendations of the Board shall be submitted for consideration of the Accepting Authority.

7. इसके अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 36-Staff 2024 जोकि पत्र संख्या 62-DG (Staff)/Sectt/02-2024/SE-II) dated 18.11.2024 के माध्यम से जारी किया गया, के अनुसार कोई भी कर्मचारी पांच साल से अधिक संवेदनशील पदों विशेषकर प्रशासन, लेखा परीक्षा योजना, समन्वय आदि में तैनात नहीं रहेगा अत: संवेदनशील पदों पर कार्यरत्त कर्मचारियों का उचित रोटेशन सुनिश्चित किया जाए।
7. further, as per circular no. 36-staff 2024 issued by Headquarter vide letter no. 62-dg (staff)/sector/02-2024/se-ii) dated 18.11.2024, no employee shall be posted in more than five years sensitive posts especially administration, audit planning, coordination etc. hence proper rotation of staff working in sensitive posts should be ensured.

बोर्ड का गठन सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-
The constitution of the Board is as under in tabulate form:-

क्र.सं.	विवरण	बोर्ड के सदस्य	टिप्पणी	स्वीकार करने वाले प्राधिकारी
1.	समूह 'बी' राजपत्रित कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड	1. श्री जय प्रकाश, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व वी एल सी) 2. श्रीमती मीनू शर्मा, उप महालेखाकार (प्रशासन, निधि और पेंशन) 3. श्री सुदर्शन शर्मा, वरिष्ठ	बोर्ड में जो अधिकारी वरिष्ठ होंगे, वे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे	विभागाध्यक्ष

File No. प्रशासन/EF-33/T&P-Board/2025 (Computer No. 366089)
Generated from eOffice by AMIT KUMAR, AAO(ADMN)AK, ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER, AG-(A&E)-Himachal Pradesh on 19/12/2025 12:47 pm

		लेखा अधिकारी (प्रशासन)		
2.	समूह 'बी' (गैर राजपत्रित) और समूह 'सी' कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और तैनाती बोर्ड	1. श्री जुधिया राम, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 2. श्री हंस राज हीर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 3. श्री सुदर्शन शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)	बोर्ड में जो अधिकारी वरिष्ठ होंगे, वे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे	प्रशासन के प्रभारी समूह अधिकारी

प्राधिकरण :- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 09.09.2025 ।
Authority: The Pr. Accountant General's orders dated 09.09.2025.

उप महालेखाकार (प्रशासन)

गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला– 171 003 दूरभाष: 0177-2614935, फैक्स: 0177-2814934
Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2614935, Fax: 0177-2814934
E-mail:agaeHimachalpradesh@cag.gov.in

File No. प्रशासन/EF-33/T&P-Board/2025 (Computer No. 366089)
Generated from eOffice by AMIT KUMAR, AAO(ADMN)AK, ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER, AG-(A&E)-Himachal Pradesh on 19/12/2025 12:47 pm